

विशेष सूचना

पेटेंट अधिनियम, 1970 के नए प्रावधानों के तहत अर्थात पेटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2005 द्वारा किए गए संशोधनों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार भारत के सरकारी राजपत्र, भाग III, खंड 2 में पेटेंट से संबंधित मामलों का प्रकाशन बंद कर दिया गया है और इसके बजाय पेटेंट कार्यालय का आधिकारिक जर्नल प्रकाशित किया जा रहा है जिसमें पेटेंट कार्यालय की सभी गतिविधियां शामिल हैं जैसे 18वें महीने के बाद सभी पेटेंट आवेदनों का प्रकाशन, पेटेंट प्रदान करना और पेटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों की आवश्यकता के अनुसार कार्यवाहियों के संबंध में अन्य सभी जानकारी साप्ताहिक आधार पर प्रत्येक शुक्रवार को प्रदान करना।

जर्नल प्रत्येक शुक्रवार को वेबसाइट में अपलोड किया जाता है। इसलिए जर्नल के पेपर स्वरूप और सीडी-रोम स्वरूप को 01/01/2009 से बंद कर दिया गया है।

विशेष सूचना

पेटेंट अधिनियम की धारा 11(ए) के तहत सभी पेटेंट आवेदनों को प्रकाशित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। हालांकि, अगर किसी भी आवेदन के दुबारा प्रकाशन का मामला सामने आता है तो प्रकाशन की प्रारंभिक तिथि को आवेदक के लिए अस्थायी संरक्षण के प्रयोजन से लिया जाएगा और पेटेंट कार्यालय दूसरे प्रकाशन की तिथि से कम से कम छः महीने पहले पेटेंट प्रदान करेगा, बशर्ते कि कोई तृतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व नहीं किया गया हो।

इस पृष्ठ को परिवर्तित नहीं किया गया और जानबूझकर
खाली छोड़ दिया गया है

लाइसेंस खरीदने के लिए यहां जाएं:

http://www.pdfonline.com/purchase/easyconvertersdk/easyconvertersdk_form.asp

या इस पते पर हमसे संपर्क करें: info@bcltechnologies.com